लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5262

जिसका उत्तर बुधवार, 02 अप्रैल, 2025 को दिया जाएगा

खाद्य अपमिश्रण की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना

5262. श्री अमरा राम:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का जिला स्तर पर खाद्य अपमिश्रण की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) और (ख): खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानक निर्धारित करते हैं। खाद्य सुरक्षा, मिलावट, लेबलिंग उल्लंघन, गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित मुद्दों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निपटाया जाता है। इन मानकों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का कार्य है।

एफएसएसएआई ने देश भर में खाद्य उत्पादों के प्राथमिक परीक्षण के लिए 243 प्रयोगशालाएं और रेफरल परीक्षण के लिए 22 प्रयोगशालाएं अधिसूचित की हैं। एफएसएसएआई ने देश में खाद्य परीक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान की है। 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न खाद्य वस्तुओं में मिलावट की मौके पर ही जांच के लिए बुनियादी ढांचे से लैस 285 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं (एमएफटीएल) हैं, जिन्हें "फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स" (एफएसडब्ल्यू) कहा जाता है। जिला स्तर पर खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य प्राधिकारियों की है।

*****